किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट नं. 20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2018/07/28	
15.06.2018	प्रार्थना पत्र प्रार्थी बजरंग लाल की ओर से अभिभाषक श्री प्रमोद चौधरी द्वारा उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें, वकील श्री चौधरी को एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थी की ग्राम ढाबा तहसील दीगोद की आराजी ख0नं0 798 रकबा 0.48 हे0 व ख0नं0 812 रकबा 0.96 हे0 भूमि की मेड को नहीं तोडे और प्रार्थी को उसकी खातेदारी की भूमि से बैदखल कर कब्जा नहीं करें, प्रार्थी के कब्जें काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें, काश्त करनें में व्यवधान पैदा नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपनें प्रतिनिधि द्वारा ही करावें। तथा उक्त दोनों ख0नं0 की मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम ढाबा तहसील दीगोद सं0 2071–74 तथा अन्य दस्तावेंजो के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में नजर आता है। अतः अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम ढाबा तहसील दीगोद की आराजी ख0नं0 798 रकबा 0.48 हे0 व ख0नं0 812 रकबा 0.96 हे0 भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षीगण के न्यायालय में उपस्थित आनें तक के लिए जारी की जाती है। यदि प्रतिपक्षीगण को कोई आपत्ति हो तो वह आगामी पेशी 30.07.2018 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। पत्रावली दिनांक 30.07.2018 को पेश हो। (तारामती वैष्णव) उपखण्ड अधिकारी, दीगोद	
30.7.2018	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण को जारी तलबी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। जिन्हें शामिल पत्रावली किया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा० पत्र हेतु दि० 6.8.2018 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	न अह हुक जा
6/8/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। ~~पीठासीन अधिकारी के राजकार्य~~ हाईकोर्ट जयपुर में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 18/9/18 को पेश हो। [initials]	
18/9/18	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। मूलवाद मे मुताबिक राजीनामा डिक्री जारी हो चुकी है। जिससे उक्त प्रा० पत्र मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। [signature]	